न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 43/2022 G.C.M.S. No. 2022/274 दर्ज दिनांक : 21.06.2022

अपीलार्थिगण:

1. भोमाराम पुत्र देवाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति देवासी, निवासी शेखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
2. सायरीदेवी पत्नि स्व. अमराराम, उम्र बालिग, जाति देवासी, निवासी शेखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चन्दादेवी पुत्री स्व. अमराराम धर्मपत्नी मिश्रा, उम्र बालिग, जाति निवासी सिनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हाल राजेन्द्र नगर पाली, तहसील व जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के राजस्व वाद संख्या 153/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.03.2022 बअनवान चंदादेवी बनाम भोमाराम वगैरह एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया, श्री विक्रम कुमार शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 10.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के राजस्व वाद संख्या 153/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.03.2022 बअनवान चंदादेवी बनाम भोमाराम वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने अपने दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने के लिये साक्ष्य देने हेतु कटघरे में आयी ही नहीं। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को अपना मुकदमा अपनी साक्ष्य पेश कर साबित करना होता है। वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की साक्ष्य के अभाव में किसी भी सूरत में वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है, बल्कि साक्ष्य के अभाव में विधि अनुसार वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का दावा निरस्त किया जाना चाहिए था। जबकि हस्तगत प्रकरण में वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 जो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपने दावा में वर्णित तथ्य–कथनों को साबित करने के लिये साक्ष्य देने हेतु कटघरे में आयी ही नहीं। यानि कहने का अर्थ यह है कि वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने अपने वाद–पत्र मे वर्णित तथ्य कथनो को साबित करने के लिये योग्य अधिन न्यायालय में न तो कोई मौखिक साक्ष्य दी और न ही अपने मुख्य बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, फिर भी योग्य अधिन न्यायालय ने वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का वाद–पत्र साबित मानकर स्वीकार करने में भारी तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि एवं भूल की हैं। वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 चाहे वृद्ध हों या जवान सभी के लिये विधि समान रूप से लागू है। मुकदमा करने वाली वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को अपना मुकदमा अपनी साक्ष्य पेशकर विधि अनुसार साबित करना होगा। जबकि वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने अपने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिये कोई मौखिक साक्ष्य या मुख्य बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी योग्य अधिन न्यायालय ने वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का वाद–पत्र साबित मानकर स्वीकार करने मे गंभीर विधिक त्रुटि की है। केवलमात्र इस कारण एवं आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने योग्य है। इसके साथ ही अपीलार्थी/प्रतिवादी सायरी को पेशी तारीख 22.10.2020 के लिए जारी सम्मन पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि "सायरी पत्नि अमराराम नि. शेखावास जो कि परिवार सहित पियर गए हुए है। मकान बन्द है। पूर्ण पता ज्ञात नहीं हैं।" इस प्रकार अपीलार्थी/प्रतिवादी सायरी का सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुआ। उक्त सम्मन के पश्चात् अपीलार्थी/प्रतिवादी सायरी को दिनांक 01.03.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित सम्मन मय लिफाफा 30 दिवस से अधिक समय से तामिल/अदम तामिल नहीं लौटने से विधि विरूद्ध रूप से करीब एक वर्ष बाद अपीलार्थी सायरी की तामिल पर्याप्त मानकर अपीलार्थी/प्रतिवादी सायरी के असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसी दिन वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की साक्ष्य कलमबद्ध किये बिना वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता की एकतरफा अंतिम बहस सुनकर बिना साक्ष्य, सबूत के अपीलाधीन एकतरफा निर्णय पारित कर वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का दावा विरूद्ध अपीलार्थीगण के डिक्री कर दिया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी भोमाराम के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश औझा का कोविड–19 की द्वितीय लहर के दौरान स्वर्गवास हो गया। जिसकी जानकारी वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता एवं योग्य अधिन न्यायालय को बहुत अच्छी तरह से थीं। फिर भी योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम को उसके अधिवक्ता की मृत्यु की सूचनार्थ एवं नोटिस तारीख पेशी से अवगत नहीं करवाया, बल्कि अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम के अधिवक्ता की मृत्यु का नाजायज फायदा उठाकर एकतरफा साक्ष्यविहीन जैर अपील निर्णय पारित करवा दिया, जो इस कारण एवं आधार पर भी निरस्त करने योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम के अधिवक्ता महेश औझा सोजतसिटी में निवास करते थें। कोविड–19 की द्वितीय लहर के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया। वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 एवं हल्का पटवारी दिनांक 26.05.2022 को जैर अपील निर्णय की पालना में प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट बनाने हेतु मौके पर नाप–चौक करने आये, तब अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम ने वादीया/रेस्पोंडेण्ट एवं हल्का पटवारी से पूछा कि नाप–चौक किसके आदेश से किया जा रहा है तो वादीया/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम को बताया कि वह योग्य अधिन न्यायालय से दावा जीत गई, जिस कारण नाप–चौक कर बंटवाडा किया जा रहा है। जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरन्त अपने अधिवक्ता महेश औझा के घर सोजतसिटी गया तो उसे मालूम हुआ कि उसके अधिवक्ता महेश औझा का स्वर्गवास हो चुका है। जिस पर अगले दिन दिनांक 27.05.2022 को अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम योग्य अधिन न्यायालय में गया और राजस्व वाद संख्या 153/2020 की सम्पूर्ण पत्रावली मय जैर अपील निर्णय की नकलें लेने हेतु नकल आवेदन पेश किया, जिस पर दिनांक 30.05.2022 को राजस्व वाद संख्या 153/2020 एवं जैर अपील निर्णय की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम को प्राप्त हुई। जिसे पढ़वाने पर सर्वप्रथम बार दिनांक 30.05.2022 को अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम को जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी भोमाराम के जरिये अपीलार्थी/प्रतिवादी सायरीदेवी को जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। फिर भी अगर अपील प्रस्तुतीकरण में कोई देरी होना पाई जावें तो उसे माफ करने हेतु धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 0803.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 16.06.2022 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

माफ करने के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता श्री महेश ओझा का कोविड–19 के कारण स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। साथ ही पत्रावली आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में विचाराधीन थीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ही डिक्री पारित कर दी गई। जो विधिविरूद्ध है। जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं रही। दिनांक 26.05.2022 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने के लिए पटवारी आदि मौके पर आने पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तत्पश्चात नकल आदि लेकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में विचाराधीन थीं तथा प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश होना शेष था। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य समायत किए बिना आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निर्णय के साथ ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं तथा अपीलांट के अधिवक्ता की मृत्यु होना भी जाहिर हुआ है। अतः हमारे विनम्र मत में चूंकि विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.10.2020 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर हुआ। दिनांक 29.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.01.2011 को वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की तामील शेष है। आदेशिका दिनांक 08.03.2022 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 की तामील हुए बिना एवं प्रकरण में जवाबदावा का समुचित अवसर दिए बिना एवं साक्ष्य लिए बिना दिनांक 08.03.2022 को ही प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र दर्ज होने के पश्चात समस्त प्रतिवादीगण की समुचित तामील करवाया जाना तथा जवाबदावा का समुचित अवसर दिया जाकर जवाबदावा प्राप्त/बंद किया जाना, असहमति की दशा में विवाद्यक विरचित करते हुए विवाद्यकवार उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर बाद बहस विवाद्यकवार विवेचन व निर्णय करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में इसकी अनुपालना नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसंगत व उचित नहीं होगा।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के राजस्व वाद संख्या 153/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.03.2022 बअनवान चंदादेवी बनाम भोमाराम वगैरह को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के निर्णय के संबंध में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner